UPAL010021982026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–998 सन् 2026

विनोद पुत्र खैम सिंह निवासी–लालपुर रैयतपुर थाना टप्पल, जनपद–अलीगढ़।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2. यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **विनोद पुत्र खैम सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–72/2026, धारा 191(1),115(2),131,351(2),125, 109(1),118(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना टप्पल,** जिला अलीगढ़ के मामले में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किये गये।

3. संक्षेप में अभियोजन केस निम्न प्रकार है कि दिनांक–20.02.2026 को शाम 6.30 बजे वादी प्रवीन कुमार की मॉ वीरवती अपने प्लाट पर कूडे को साफ कर रही थी तभी वादी के गांव के विनोद, सतीश, विक्रम, व जसवीर, संजीव, सौरव लाठी–डण्डा, फावडा लोहे का पाइप लेकर वादी के प्लाट पर आ गये और बोले कि यहॉ से निकल तेरे प्लाट पर जबरन कब्जा करेगें, वादी की मॉ वीरवती ने इनका विरोध किया तो इन लोगो ने चांटे, थप्पडों डण्डो से वादी की मॉ को मारा पीटा और पिता अशोक कुमार बचाने गये तो पिता को भी मारा पीटा जब वादी के मॉ बाप को मारा पीटा और विनोद ने अपने हाथ में लगे लोहे के फावडे से वीरवती की छाती पर जानलेवा हमला किया है जिससे वादी की मॉ की छाती बुरी तरह घायल हो गयी। इन सभी ने जान से मारने की धमकी दी गांव वालो ने बचाया है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से कहा गया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया है। अभियुक्त दिनांक–23.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है।चुटैल वीरवती व अशोक के साधारण किस्म की चोटें है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

5. इसके विपरीत अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा सम्बन्धित केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार दिनांक–20.02.2026 को शाम 6.30 बजे जब वादी की मॉ वीरवती अपने प्लाट पर कूडे को साफ कर रही थी तभी अभियुक्त सह अभियुक्तगण के साथ लाठी–डण्डा, फावडा, लोहे का पाइप लेकर वादी के प्लाट पर आये और प्लाट पर कब्जा करने लगे, विरोध करने पर वादी की मॉ ने इनका विरोध किया तो इन लोगो ने चांटे, थप्पडों डण्डो से वादी की मॉ को मारा पीटा और पिता अशोक कुमार बचाने गये तो पिता को भी मारा पीटा तथा अभियुक्त ने लोहे के फावडे से वीरवती की छाती पर जानलेवा हमला किया है जिससे वादी की मॉ की छाती बुरी तरह घायल हो गयी। वादी मुकदमा द्वारा बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है तथा चुटैल वीरपाल द्वारा अपने बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में घटना का समर्थन किया है। चुटैल वीरवती की आघात आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि वीरवती के निम्न दो चोटे आना दर्शित किया गया है–

1. 10cmx1cm skin deep. Incised wound over right breast region (upper region). Advice- X-ray.

2. Contusion injury present over right F.A. 2cmx1cm.

गया है चोट संख्या–1 को धारदार हथियार से आना दर्शित करते हुए जेरे निगरानी रखा गया तथा चोट संख्या–2 को साधारण प्रकृति की तथा कठोर कुन्दालय से आना दर्शित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में चुटैल वीरवती की एक्सरे रिपोर्ट के सम्बन्ध में वादी मुकदमा प्रवीन द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि गम्भीर प्रकृति की चोट न होने के कारण एक्सरे नही कराया गया है। अभियुक्त दिनांक–13.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है अभियोजन की ओर से अभियुक्त विनोद का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **विनोद** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०-50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र

एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–07.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता– मनोज कुमार (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.07 11:59:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court